न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 125 / 2020 **दायर दिनांकः 21.08.2020**

उनवान

1. महेन्द्र कुमार पुत्र हुकमचन्द आयु 40 वर्ष जाति महाजन निवासी कूण्डी हाल खानपुर रोड कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

1. हुकमचन्द पुत्र कन्हैयालाल आयु 70 वर्ष जाति महाजन निवासी कूण्डी हाल खानपुर रोड कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 91 आर टी एक्ट

उपस्थिति :—
वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री गौरव सिंह हाडा।

निर्णय दिनांक 28 / 07 / 2022

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अर्न्तगत धारा 53, 88, 89, 91, आर0 टी0 एक्ट0 का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम कूण्डी तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 658 का ख0न0 1055 रकबा 0.15 है0 बरानी उत्तम, ख0न0 1252 रकबा 0.02 है0 गै0मु0 चाह, ख0नं0 1253 की 1.88 है0 चाही —2 , ख0नं0 1256 की 0.80 है0 माल—1, ख0नं0 1269 की 1.06 है0 माल—1 ए ख0नं0 920 की 0.01 है0 बरानी उत्तम कुल किता 6 का रकबा 3.92 है0 आराजी स्थित है जो प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज है। नकल जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। उक्त आराजी वाद में विवादग्रस्त आराजी कहलाई गई है। वाद पत्र की मद नं0 1 वर्णित आराजीया तमे से खाता संख्या 658 का ख0नं0 1256 की 0.80 है0 माल—1, ख0नं0 1269 की 1.06 है0 माल—1 कुल किता 2 रकबा 1.86 है0 आराजी वादी के करीब 25—30 वर्ष से कब्जे काश्त में चली आ रही है। वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजीयात पर वादी बहैसियत 25 वर्षों से ट्रेस पासर चला आ रहा है और वर्तमान में भी वादी के ही कब्जे काश्त में है। वादी ने कितनी ही बार कब्जे काश्त के आधार पर राज्य रकार के अधिनस्थ कर्मचयारियों से मौखिक तौर पर वादी के खाते दर्ज करवाने

बाबत निवेदन किया तो अभी तक भी उक्त आराजी पर वादी को खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये है। इसलिये वादी ने अपने खाते दर्ज करवाने बाबत राज्य सरकार जर्ये श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बारां को भी धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस प्रेषित कर दिया है। जिसकी मियाद समाप्त होने के बाद यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है। वादी अपने प्रयासों में विफल होने के कारण यह वाद प्राप्त करने खातेदारी अधिकार श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। बिना सहायता न्यायालय उक्त आराजी वादी के खातेदारी दर्ज नहीं हो सकती। वादी ने दिनांक 8 जून 2020 को भी राज्य सरकार के कर्मचारीयों से वादी के खाते आराजी दर्ज करने का निवेदन किया लेकिन वादी की बात पर विचार न कर वादी को खातेदारी अधिकारों से वंचित कर रखा है। इस वजह से अंतिम बार दिनांक 10.07.2020 को जिला कलेक्टर महोदय बारां को धारा 80 सीपीसी. का नोटिस देने पर बमुकाम माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में वाद कारण उत्पन्न हुआ। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से श्रीमान तहसीलदार साहबए अटरू को इस वाद मं आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। विवादग्रस्त आराजी ग्राम कूण्डी तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस वाद का सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद का मूल्यांकन विवादग्रस्त आराजी के लगान का 50 गुना कायम कर उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य वाद पत्र प्रस्तुत है। अतः माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि–

(अ) वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी खाता संख्या 658 का ख0नं0 1256 की 0.80 है0 माल–1, ख0नं0 1269 की 1.06 है0 माल–1 कुल किता 2 रकबा 1.86 है0 भूमि पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर इसका अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करवाया जावे।

(ब) उक्त वाद में वाद व्यय भी प्रतिवादी क्रम 1 से दिलवाया जावे।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से इकबाले जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं 1 लगा 7 स्वीकार हैं। वाद पत्र में चाही गई प्रार्थना एवं अनुतोष स्वीकार है।

विशेष आपत्तियां

वादी ने माननीय न्यायालय में यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है उसे वाद व प्रार्थना के आधार पर डिक्री फरमाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

प्रतिवादी कम 2 द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया।

3. साक्ष्यवादी के तहत महेन्द्र कुमार पुत्र हुकमचन्द जाति महाजन निवासी कूण्डी तहसील अटरू हाल खानपुर रोड कवाई का शपथ पत्र पेश किया गया तथा शपथ गवाह बयान दर्ज किये गये। साक्ष्यवादी ने बताया कि ग्राम कूण्डी तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 658 का ख0न0 1055 रकबा 0.15 है0 बरानी उत्तम, ख0न0 1252 रकबा 0.02 है0 गै0मु0 चाह, ख0नं0 1253 की 1.88 है0 चाही –2 , ख0नं0 1256 की 0.80 है0 माल–1, ख0नं0 1269 की 1.06 है0 माल–1 ए ख0नं0 920 की 0.01 है0 बरानी उत्तम कुल किता 6 का रकबा 3.92 है0 आराजी स्थित है जो प्रतिवादी कम 1 हुकमचन्द पुत्र कन्हैयालाल के खाते दर्ज है। उक्त भूमि में से खाता संख्या 658 का ख0नं0 1256 की 0.80 है0 माल–1, ख0नं0 1269 की 1.06 है0 माल–1 कुल किता 2 रकबा 1.86 है0 आराजी मेरे के करीब 25–30 वर्ष से कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त भूमि पर मेरा बहैसियत 25 वर्षों से ट्रेस पासर चला आ रहा है और वर्तमान में भी वादी के ही कब्जे काश्त में है। पिछले 25 वर्षों से उक्त भूमि पर मेरा लगातार निर्बाध रूप से कब्जा काश्त होने से मुझे उक्त भूमि का खातेदार कृषक घोषित कर इसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जावे।

4. अभिभाषक वादी की बहस सुनी। अभिभाषक वादी द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि वादी प्रतिवादी कम 1 का पुत्र है और विवादित आराजी वादी की पैतृक संपत्ति है। अतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार वादी का उक्त संपत्ति में जन्म से ही हक एवं अधिकार निहित है। प्रतिवादी कम 1 द्वारा स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अभिभाषक वादी की बहस को स्वीकार किया। दोनों पक्षों की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। संवत 2071–2074 की ग्राम कूण्डी की प्रस्तुत जमाबन्दी खाता संख्या 658 के ख0नं0 1055, 1252, 1253, 1256, 1269, 920 कुल किता 6 कुल रकबा 3.92 है0 भूमि खातेदार हुकमचन्द पुत्र कन्हैयालाल के दर्ज खाता स्थित है। प्रतिवादी कम 1 ने इकबाले जवाब में वादी द्वारा चाहे गई प्रार्थना एवं अनुतोष को स्वीकार किया गया तथा वादी को ख0नं0 1256 की 0.80 है0, ख0नं0 1269 की 1.06 है0 कुल किता 2 रकबा 1.86 है0 भूमि का खातेदार कृषक घोषित किये जाने हेतु

अनापत्ति पेश की है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में और बहस के दौरान कहीं भी इस तथ्य/कथन का उल्लेख नहीं किया कि प्रति0 कम 1 के कितने कानूनी वारीसान है जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त विवादित आराजी में अपना जन्म से हक व अधिकार रखते है। कोई वारिसान सजरा भी पेश नहीं किया गया है, सिर्फ विवादित आराजी के आधे हिस्से पर 20–25 वर्षों से कब्जा होने का उल्लेख किया है। यदि प्रतिवादी कम 1 के वादी के अतिरिक्त अन्य कोई वारिसान है तो उन्हे प्रकरण में आवश्यक पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था लेकिन पक्षकार नहीं बनाया गया। उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादी कम 1 द्वारा पंजाब नेशनल बैंक शाखा कवाई से भूमि रहन रखकर कृषि ऋण प्राप्त कर रखा है। अतः पंजाब नेशनल बैंक को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार पक्षकार बनाया जाना चाहिए था लेकिन वादी द्वारा उन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया। अतः नोनजोइंडर के कारण वादी का वाद डिफेक्टिव है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर ग्राम एवं माल कूण्डी तहसील अटरू की ख0नं0 1256 की 0.80 है0, ख0नं0 1269 की 1.06 है0 कुल किता 2 रकबा 1.86 है0 आराजी के वादी की पैत्रिक सम्पत्ति होने से वादी का जन्म से हक एवं अधिकार तो है लेकिन माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पन्नालाल बनाम एस.आर.ओ. नाथद्वारा 1989 आर0आर0डी0 172 में दिये गये निर्णय अनुसार अपने पिता/प्रतिवादी कम 1 के जीवनकाल में राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकुलन) अधिनियम 1952 स्टाम्प शुल्क जमा कराने पर ही बटवारा डीड को स्वीकार कर खातेदार कृषक घोषित किया जा सकता है। इसी प्रकार प्रतिवादी कम 1 के वारिसान सजरे के अभाव में वादी के पैतृक संपत्ति में नोशमल शेयर का निर्धारण भी नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार पंजाब नेशनल बैंक के नोनजोइंडर होने से भी वादी का वाद डिफेक्टिव है। अतः वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेश:—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद खारिज किया जाता है। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **28.07.2022** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 125/2020

उनवान

1. महेन्द्र कुमार पुत्र हुकमचन्द आयु 40 वर्ष जाति महाजन निवासी कूण्डी हाल खानपुर रोड कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

1. हुकमचन्द पुत्र कन्हैयालाल आयु 70 वर्ष जाति महाजन निवासी कूण्डी हाल खानपुर रोड कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 91 आर टी एक्ट

उपस्थिति :–
वादी :– विद्वान अभिभाषक श्री गौरव सिंह हाडा।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X..
मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम कूण्डी तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 658 का ख0न0 1055 रकबा 0.15 है0, ख0न0 1252 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 1253 की 1.88 है0, ख0नं0 1256 की 0.80 है0 , ख0नं0 1269 की 1.06 है0, ख0नं0 920 की 0.01 है0 कुल किता 6 का रकबा 3.92 है0 के संबंध में पेश वादी का वाद **खारिज** किया जाता है।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X..................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X........................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 28.07.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)